न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (भरण पोषण अधिकरण), बज्जू जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः— सांवरमल रैगर आर ए एस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 01/2026
मेघाराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल साकिन 14 सीडब्लूबी तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. खेमाराम पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल साकिन 14 सीडब्लूबी तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. कान्ता पत्नी खेमाराम जाति मेघवाल साकिन 14 सीडब्लूबी तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

उपस्थित अभिभाषकः
1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजीव पाण्डे वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट बज्जू जिला—बीकानेर

—: निर्णय :—

दिनांक :— 13.03.2026

प्रार्थी मेघाराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल साकिन 14 सीडब्लूबी तहसील बज्जू जिला बीकानेर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का रिश्ता पिता—पुत्र है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का रिश्ता ससुर—पुत्रवधू का है। प्रार्थी के नाम पटवार हल्का चारणवाला में चक 17 सीडब्लूबी में खाता संख्या 63 में मुरबा नं 227/27 में किला नं 9, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/1 में 1.2141 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 का पालन पोषण कर काबिल बनाया व अप्रार्थी संख्या 2 के साथ विवाह करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 चूंकि प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधू हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के आजीवन भरण पोषण करने, सेवा चाकरी करने व दवा—दारू करने व पूर्ण सार संभाल करने का वचन देने पर प्रार्थी ने अपनी वादगत खातेदारी कृषि भूमि काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण को सुपुर्द कर दी। वादगत भूमि का कब्जा प्राप्त होने के बाद अप्रार्थीगण के मन में खोट उत्पन्न हो गयी व अप्रार्थीगण ने आपसी मन—मुटाव का बनावटी प्रदर्शन कर अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर जबरिया कब्जा कर लिया और प्रार्थी की सेवा चाकरी व दवा—दारू बन्द कर दी और प्रार्थी के साथ लडाई—झगड़ा करने लग गई और प्रार्थी का भरण पोषण करने से इन्कार कर दिया। दिनांक 18.03.2024 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत से जबरन निकाल दिया, तब से आज दिनां तक प्रार्थी दर—दर की ठोकरें खाने का मजबूर हो रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पटवार हल्का चारणवाला के चक 17 सीडब्लूबी में खाता संख्या 63 में मुरबा नं 227/27 में किला नं 9, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/1 में 1.2141 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी अपने जीवनयापन व सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए अप्रार्थीगण से प्रति महिना अनुमानित 10,000/— रूपये भरण पोषण भत्त प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को वादगत भूमि पटवार हल्का चारणवाला के चक 17 सीडब्लूबी में खाता संख्या 63 में मुरबा नं 227/27 में किला नं 9, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/1 में 1.2141 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा पुनः दिलाया जाकर अप्रार्थीगण से प्रतिमाह 10,000/— रूपये भरण पोषण भत्ता दिलाये जाने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बज्जू
जिला-बीकानेर

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव पाण्डे उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी से यह तथ्य स्थापित होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का रिश्ता पिता–पुत्र है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का रिश्ता ससुर–पुत्रवधू का है। प्रार्थी के नाम पटवार हल्का चारणवाला में चक 17 सीडब्लूबी में खाता संख्या 63 में मुरबा नं 227/27 में किला नं 9, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/1 में 1.2141 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 का पालन पोषण कर काबिल बनाया व अप्रार्थी संख्या 2 के साथ विवाह करवाया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 चूंकि प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधू हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के आजीवन भरण पोषण करने, सेवा चाकरी करने व दवा–दारू करने व पूर्ण सार संभाल करने का वचन देने पर प्रार्थी ने अपनी वादगत खातेदारी कृषि भूमि काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण को सुपुर्द कर दी। वादगत भूमि का कब्जा प्राप्त होने के बाद अप्रार्थीगण के मन में खोट उत्पन्न हो गयी व अप्रार्थीगण ने आपसी मन–मुटाव का बनावटी प्रदर्शन कर अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर जबरिया कब्जा कर लिया और प्रार्थी की सेवा चाकरी व दवा–दारू बन्द कर दी और प्रार्थी के साथ लडाई–झगडा करने लग गई और प्रार्थी का भरण पोषण करने से इन्कार कर दिया। दिनांक 18.03.2024 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत से जबरन निकाल दिया, तब से आज दिनांक तक प्रार्थी दर–दर की ठोकरें खाने का मजबूर हो रहा है।

अतः अन्तर्गत धारा 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का प्रार्थी के पुत्र व पुत्रवधू होने से आजीवन भरण पोषण करने, सेवा चाकरी करने व दवा–दारू करने व पूर्ण सार संभाल करने का नैतिक दायित्व बनता है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द करे। अतः आदेश दिया जाता है।

(सांवरमल रैगर)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बज्जू
जिला-बीकानेर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट बज्जू जिला–बीकानेर

:: आदेश ::

अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उसकी जरूरत के हिसाब से एवं उसके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए माह अप्रैल, 2026 से 10,000/– रूपये अखरे दस हजार रूपये प्रतिमाह प्रार्थी को अदा करेगा। उक्त राशि अप्रार्थीगण को प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी, जिसके लिये प्रार्थी, अपना बैंक खाता अप्रार्थीगण को अपने स्तर से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगा। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के सामान्य जीवन निर्वाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, प्रार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे तथा अप्रार्थीगण पटवार हल्का चारणवाला में चक 17 सीडब्लूबी में खाता संख्या 63 में मुरबा नं 227/27 में किला नं 9, 11/2, 12, 19, 20/2, 21/1 में 1.2141 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करे।

आदेश की प्रति तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बज्जू तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना, रणजीतपुरा को पालनार्थ भिजवायी जावे। आदेश की एक–एक प्रति प्रार्थी व अप्रार्थीगण को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सांवरमल रैगर)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बज्जू
जिला-बीकानेर